राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51)/ग्राविवि–5/PMAY-G./प्रगति/2020–21 जयपुर, दिनांक 22 अप्रैल,2021

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत अन्य योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को कनर्वेजेन्स के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 12.05.17, 09.08.19, 05.09.19, 04.10.19, 03.02.20 एवं 22.02.21।

संदर्भ :– ग्रामीण विकास मंत्रालय का पंत्राक DO#M-13011/01/2018-RH Dated 12.04.2021

सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सौभाग्य योजना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 तक बढाये जाने के बाबत अवगत कराते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को सौभाग्य योजना अन्तर्गत पात्रता के आधार पर प्राथमिकता से विधुत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

योजना के कियान्वयन का फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के बिन्दू संख्या 8 में योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स कर मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

उक्त क्रम में योजनान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना 90 अकुशल मानव दिवसों की मस्टररोल जारी करना एवं अपना खेत अपना काम के तहत कैटल शेड, बकरी शेड, भूमि समतलीकरण, चैक डेम आदि की स्वीकृतियां जारी करना।
2. महात्मा गांधी नरेगा से एसबीएम/मनरेगा से लाभान्वित नहीं लेकिन पात्र लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय की स्वीकृति जारी करना।
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कियान्वित जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल सुविधा।
4. सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन।
5. उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन।
6. श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों की योजनाओं का लाभ।

उक्त निर्देशित किये जाने के उपरान्त जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार प्रगति निम्न है:–

अपना खेत अपना काम	सौभाग्य योजना के विधुत कनेक्शन	उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन	श्रमिक कार्ड जारी	स्वच्छ पेयजल कनेक्शन
74263	321913	297528	110750	226031

अतः निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स के तहत पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. के.के. पाठक)
शासन सचिव,ग्राविं

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

22/4/21

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि